(35)

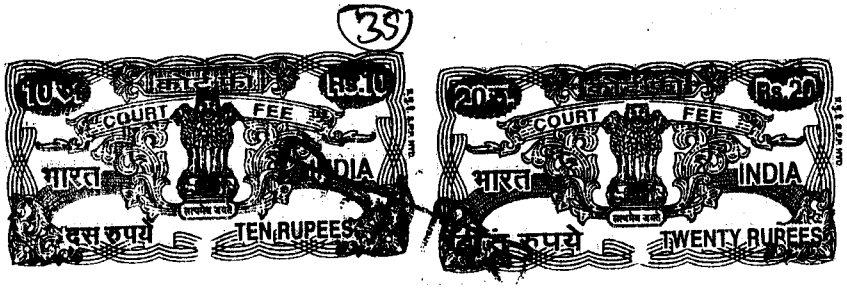

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी R 1380-II-17

1. शान्त स्वरूप पुत्र श्री आनंद स्वरूपखत्री
2. विजय स्वरूप पुत्र श्री आनंद स्वरूप खत्री निवासीगण – महात्मा बाडा अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.... आवेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 16-5-017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. अकबर खां पुत्र मुन्ना खॉ जाति मुसलमान
2. बलवीर सिंह पुत्र राम सिंह यादव निवासीगण पहाडीखेडा रोड अशोक नगर जिला अशोकनगर
3. मनोज़ कुमार साहू पुत्र श्री रामचरण निवासी तालाब के सामने बायपास रोड अशोकनगर म.प्र.

...... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 89/ अपील/ 2015–16 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की निगरानी निम्नांनुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 250 न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसको प्रकरण क्रमांक 9 अ70/ 2015– 16 कस्बा अशोकनगर की भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1380–दो/2017 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण कमांक 89/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक का मुख्य रूप से तर्क है कि उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव के लिए समय मांगा परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने जबाव के लिए समय न देकर प्रकरण सीधे अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया। आवेदक को अंतिम तर्क के पूर्व अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अनावेदक प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22–4–17 के पूर्व भी कई पेशियों पर उपस्थित होता रहा है इसलिए उनका तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि अनावेदक द्वारा कोई जबाव अथवा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी उक्त आवेदन पर विचार कर आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थतिया में अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	